वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम- Untied Fund for Health Sub Centre, Additional Primary Health Centre and Primary Health Centre.

बजट/एफ०एम०आर०शीर्ष (अनुलग्नक १ के आधार पर) - Untied Fund for Health Sub Centre, Additional Primary Health Centre and Primary Health Centre.

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या(अनुलग्नक १ के आधार पर) B- 1.21

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (५-१० वाक्य अधिकतम)

राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य उपकेन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रख-रखाव एवं जरूरत के अनुसार आवश्यक कार्य हेतु Untied Fund दिया जाता है ।

स्वास्थ्य उपकेन्द्र-

स्वास्थ्य उपकेन्द्र - स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए निम्नलिखित राशि वर्ष २००६-१० के लिए भारत सरकार से स्वीकृत है ।

ईकाई राशि-

@ Rs.-10000 Per Health Sub Centre Per Year
@ Rs.-2000 Per District to organize a meeting for dissemination at district level.
@ Rs.-3000 Per PHC to organize a meeting for dissemination of joint signatory of HSC untied fund.
@ Rs.-1000 Per District to organize a quarterly meeting for review of HSC untied fund progress.

स्वास्थ्य उपकेन्द्र को दिये जा रहे राशि के साथ जिला स्तर पर एक बैठक आयोजित करने के लिए 2000 रूपये की स्वीकृति मिली है जिसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधक, एवं लेखापाल भाग लेंगे इस कार्यकम का संचालन जिला कार्यकम प्रबंधक करेंगे तथा जिसकी अध्यक्षता सिविल सर्जन करेंगे।यह बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी परन्तु तीन महीने में एक बार स्वास्थ्य उपकेन्द्र आधारित Untied Fund की समीक्षा हेतु इसी प्रकार जिले स्तर पर बैठक करने का प्रावधान है जिसमें 1000 रू0 तक की राशि खर्च की जा सकती है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर भी एक बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें ए0एन0एम0 एवं पंचायत की महिला सदस्य भाग लेंगी, यह महिला सदस्य वह होंगी जिनके साथ ए0एन0एम0 का संयुक्त खाता है । इस गतिविधि हेतु 3000 रूपये प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतिवर्ष दी जा रही है । इस बैठक की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी करेंगे तथा इसका संचालन स्वास्थ्य प्रबंधक करेंगे।

इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य यह है कि Untied Fund के उपयोग में आने वाले किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकेगा और इस बैठक के माध्यम से यह समीक्षा की जाएगी कि किस स्वास्थ्य उपकेन्द्र की गतिविधि सुचारू रूप से नहीं की जा रही है और इसका कैसे सफल संचालन किया जा सकता है ।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रख-रखाव एवं जरूरत के लिए प्रति अति०प्रा०स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रा०स्वास्थ्य केन्द्र के लिए २५०००/- रू० Untied Fund का प्रावधान है

ईकाई राशि- २५०००

1. अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र @ Rs.- 25000 Per Additional Primary Health Centre Per Year
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र @ Rs.-25000 Per Primary Health Centre Per Year

वित्तीय दिशा-निर्देशन

HSC untied fund

स्वास्थ्य उपकेन्द्र के **United Fund** का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किये जा सकते हैं :

- स्वास्थ्य उपकेन्द्र के छोटे परिवर्तन यथा परदा लगाने में, नल की मरम्मति, बल्ब लगाने में एवं स्थानीय स्तर पर छोटी मरम्मति ।
- स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु रजिस्टर/फाईल खरीदने में तथा विशेष परिस्थिति में कुर्सी/टेबुल/बैंच खरीदने में ।
- स्वास्थ्य उपकेन्द्र की साफ–सफाई के लिए ।
- आपातस्थिति में गर्भवती महिला/माता/नवजात शिशु के लिए परिवहन पर व्यय ।
- महामारी के समय नमूने के आवागमन हेतु परिवहन मद में ।
- स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर कन्जूमेबुलस(यथा–बैन्डेज) की खरीद पर ।
- गाँव के लिए ब्लीचिंग पाउडर एवं संक्रमणनाशी चीजों की खरीद पर।
- जलजमाव के रोकथाम हेतु तथा साफ सफाई करने में, जिससे उत्पन्न बीमारी को रोका जा सके ।
- राशि का उपयोग सार्वजनिक उपयोग में होनी वाली चीजों के लिए करना है, व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए नहीं ।

PHC/APHC untied fund

उक्त राशि निम्नांकित कार्यो में खर्च किये जा सकते हैं :

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के छोटे परिवर्तन यथा पर्दा लगाने में नल की मरम्मति, बल्ब लगाने में एवं स्थानीय स्तर पर छोटी मरम्मति ।
- रोगी जॉच टेबुल, डिलीवरी टेबुल, डी०पी०उपकरण, हीमोग्लोबीन मीटर, कॉपर–टी लगाने वाले किट, उपकरण ट्रे, बच्चा ट्रे, भार स्केल माँ एवं नवजात शिशु हेतु, प्लास्टिक/रबर सीट, ड्रेसिंग सीजर, स्टेथोस्कोप, बाल्टी, एटेंडेन्स स्टूल, मेकिंग टोस सीट ।
- सप्लाई पानी की व्यवस्था हेतु ।
- बिजली की व्यवस्था हेतु ।
- सफाई की व्यवस्था हेतु, विशेषकर बच्चे के जन्मोपरान्त ।
- आपात स्थिति में उचित रेफरल परिवहन में ।
- महामारी के समय नमूने के आवागमन हेतु परिवहन मद में ।
- कन्जूमेबुलस यथा –बैन्डेज की खरीद पर ।
- ब्लीचिंग पॉउडर एवं संकमणनाशी चीजों की खरीद पर ।
- जलजमाव के रोकथाम हेतु तथा साफ–सफाई करने में जिससे उत्पन्न बीमारी को रोका जा सके ।
- आशा के चिन्हित कार्यो के करने पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान पर ।
- Soak Pits के मरम्मति अथवा चालू कराने में ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं०- तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) 4657 A, Dated-07-11-07 (ख) 9135, Dated-09-02-09

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम . श्री रंजीत समैयार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर- 9470003025